







अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

पाराधीनता बनाम श्रीमती गीता देवी (विर्वा)

फिरस मुकदमा प्री.पत्रा 111-128 नं० 66 तारीख 2021

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अडकान जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
15.4.21	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 28.5.21 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
28/5/21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 16.7.21 को पेश हो।  रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
16/7/21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 17.8.21 को पेश हो।  रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
17/8/21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 30.9.21 को पेश हो।  रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
10/12/21	पत्रावली प्रशासन गार्ड के लेगल डिपॉजिट 2021 के मध्यम पंचोपत्र में पेश हुई, शपथीगल के सम्मन वाद शामिल होकर अदालत इत एव तहसील प्रारंभोडल से मौजूद रिपोर्ट पेश हुई जिले शाह पत्र किया गया। प्रार्थीगल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जनकर विरुद्ध पक्ष ले लिया जाकर शाह पत्र किया गया। पत्रावली फैसल सुनने के लिए नवंबर से कम हो।  डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गार्डों के तहत प्रारंभोडल 2021	

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 66/21 प्रा. 0/53

प्रशासन गौवों के संन अभियान 2021

1- श्री गीता देवी vs. श्री गीपाल लाल माली निवासी-मोजा तहसील मांडल त. गीता देवी (प्रा. 0/53)

बनाम  
1- श्रीमती गीता देवी vs. श्री गीपाल लाल माली निवासी-मोजा तहसील मांडल त. गीता देवी (प्रा. 0/53)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. रा. अधि. 1956

:: आदेश ::

दिनांक 8.12.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोजा पटवार हल्का मोजा तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 632, 633/2 कुल किता 02 रकबा 5555 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5.4.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मोजा पटवार हल्का मोजा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 632, 633/2 कुल किता 02 रकबा 5555 हेक्टेयर

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक मोजा को 600/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावें।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा  
प्रशासन गौवों के संन अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गौवों के संन अभियान 2021